बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
संकल्प

विषयः– "मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना" के संबंध में।

बिहार राज्यान्तर्गत नगर निकायों में प्रशासन एवं नागरिक सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में अभिवृद्धि, शहरी प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी एवं पारदर्शी बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या–1039 दिनांक–17.02.2016 द्वारा नगर निकायों में स्वच्छ प्रतियोगिता के प्रयोजनार्थ "मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना" का प्रारम्भ किया गया है।

2. उक्त योजनान्तर्गत सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय के चयनार्थ 08 मुख्य मापदण्ड/घटक निर्धारित किए गए है एवं उक्त घटकों को उपघटकों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक उपघटक के अन्तर्गत उपलब्धि के आधार पर अधिभार का प्रावधान किया गया है।

3. विगत वित्तीय वर्ष की उपलब्धि के आधार पर सर्वोकृष्ट 01 नगर निगम को पाँच करोड़, प्रथम एवं द्वितीय नगर परिषदों को तीन–तीन करोड़ रूपये एवं प्रथम एवं द्वितीय नगर पंचायतों को एक–एक करोड़ रूपये की राशि प्रदान करने का प्रावधान है। उक्त निर्गत संकल्प के अनुसार वर्ष 2016 एवं वर्ष 2017 में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।

4. राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती 02 अक्टूबर, 2019 तक देश में सम्पूर्ण स्वच्छता के संकल्प के साथ भारत सरकार द्वारा "स्वच्छ भारत मिशन" कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) योजना को राज्य के सभी नगर निकायों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

5. राज्यान्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को निर्धारित समयावधि में **Open Defecation Free (ODF) Status** के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं इस हेतु नगर निकायों को प्रतिस्पर्द्धी बनाने के उद्‌देश्य से सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि "मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना" हेतु पूर्व निर्धारित घटक/उपघटक के स्थान पर मात्र **Open Defecation Free (ODF) Status** के आधार पर वर्ष 2017–18 के लिए पुरस्कार हेतु नगर निकायों का चयन किया जाय।

6. **Open Defecation Free (ODF) status** के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 की उपलब्धि के आधार पर निम्नांकित रूप से पुरस्कार राशि निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है:–

(क) नगर निगम के स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नगर निगम को क्रमशः ढाई करोड़, दो करोड़ एवं डेढ़ करोड़ रूपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी।

(ख) नगर परिषद के स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम नगर परिषदों को क्रमशः एक करोड़ पचहत्तर लाख, एक करोड़ पचास लाख, एक करोड़ पच्चीस लाख, एक करोड़ एवं एक करोड़ रूपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी।

(ग) नगर पंचायत के स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम् एवं दशम् नगर पंचायत को क्रमशः एक करोड़, नब्बे लाख, अस्सी लाख, सत्तर लाख, साठ लाख, पचास लाख, चालीस लाख, तीस लाख, बीस लाख, दस लाख रूपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी।

उक्त पुरस्कार राशि संबंधित नगर निकाय, सामान्य बोर्ड के निर्णयानुसार नगरपालिका अधिनियम

में उदधृत दायित्वों के निर्वहन पर व्यय कर सकेगी। ODF Status के सत्यापन के पश्चात पुरस्कार प्रदेय होगा।

7. उक्त पुरस्कार राशि का भुगतान मांग संख्या–48 अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष–0013–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायक अनुदान, विपत्र कोड–48–2217801910013, मुख्यशीर्ष–2217–शहरी विकास, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–192–नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष–0005–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद को सहायक अनुदान, विपत्र कोड–48–2217801920005 एवं मुख्यशीर्ष–2217–शहरी विकास, उप मुख्यशीर्ष–80, सामान्य, लघुशीर्ष–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता उपशीर्ष–0005–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायत को सहायक अनुदान, विपत्र कोड–48–2217801930005 में उपलब्ध बजट उपबंध से किया जायेगा।

8. इस योजना में कुल 18 करोड़ रूपये (अठारह करोड रूपये) की राशि व्यय होगी। जिसका व्यय पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त बजट उपबंध की राशि में से उपर्युक्त कंडिका–7 के अंकित बजट शीर्ष से व्यय की जायेगी।

9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–03.10.2017 में मद संख्या–19 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
5/10/2017
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक– 6531 /न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक– 06/10/17

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग गजट शाखा को सी0डी0 के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

5/10/2017
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक– 6531 /न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक–06/10/17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, महालेखाकार का कार्यालय, वीर चन्द पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/10/2017
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक– 6531 /न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक– 06/10/17

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागाध्यक्ष/वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/राज्य के सभी नगर निकाय/सभी कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/10/2017
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।